



भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो,
क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय, रायपुर
द्वितीय तल, जी0 एस0 आई0 फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र, महालेखाकार कार्यालय परिसर,
पोस्ट-विधानसभा, रायपुर-492005 (छत्तीसगढ़)
फोन एवं फैक्स-0771-2282530, 2285590/95 ई-मेल: ro.raipur@ibm.gov.in



File no- CHG/RAP/LST-32/Raipur/Vol-2

MINE CODE 38MPR28001

दिनांक - 13.01.2023

प्रेषिति,

श्री के.सी.झंवर,
मेसर्स. अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड,
अहुरा सेंटर, बी.विंग द्वितीय तल,
महाकाली केव्स रोड, अंधेरी (ईस्ट)
मुम्बई-400093

श्री बी.पी.मिश्रा, एजेंट (खान)
अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड,
बैकुंठ सीमेंट वर्क्स
पोस्ट ऑफिस: बैकुंठ, जिला. रायपुर
छत्तीसगढ़- 493116

विषय : छत्तीसगढ़ राज्य के ग्राम - बहेसर और तुलसी, तहसील - तिल्दा, और जिला - रायपुर, में स्थित आपकी सेंचुरी सीमेंट चूना पत्थर खान (Century Cement Limestone Mine) , क्षेत्रफल 237.003 ha में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियमों के उल्लंघन के संबंध में-

महोदय,

आपकी उपरोक्त खान का निरीक्षण दिनांक 20.12.2022 को अधोहस्तक्षरी द्वारा श्री बी.आर.पी. एस भाटिया, खान प्रबंधक की उपस्थिति में किया गया तथा खान के निरीक्षण में पाया गया कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबंधों का उल्लंघन किया है।

नियम	उल्लंघन के प्रकार का ब्यौरा
11(1)	<p>The mining operations are required to be carried out in accordance with the Mining Plan approved, modified or reviewed by Indian Bureau of Mines. However, the mining operations have been observed not carried out in accordance with Review & updation of Mining Plan approved vide letter No. RPR/LST/MPLN-1177/2018/Raipur dated 22.11.2018 for the period from 2019-20 to 2023-24</p> <p>(i) Against proposal of backfilling near to BP 62 to 65 along the pit benches in north-south direction during the year 2021-22, backfilling has been carried out in the pit along east-west direction near BP 63 & 64.</p> <p>(ii) Retaining wall of 125 m was proposed around backfilled area during the year 2021-22 against which only 85m of retaining wall has been constructed.</p> <p>(iii) During the year 2021-22, backfilled area of 0.6 ha was proposed for rehabilitation by planation. However, during the inspection, the backfilled area was not found rehabilitated by planation as proposed.</p> <p>(iv) Substantial area was found utilized for stacking of mineral and crusher fines near to weigh bridge against no such approval.</p> <p>(v) Mining Lease area shape as shown on Geo-referenced vectorised Cadastral Map (DGPS Plan) is not observed in consonance with Mining Lease shape as shown over the precise lease sketch/map (cadastral Plan).</p> <p>Hence, the above are observed to be against systematic and scientific development of</p>

	mines and protection of environment.
55 (1) (3) (i)	A whole-time mining engineer and a geologist have not been appointed as stipulated under this rule.

(2) इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।

(3) नियम 11(1) के नियम का उल्लंघन की अनुपालन नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 11(2) के अंतर्गत :-

- (क) खान की समस्त खनन संक्रियाएं बंद की जा सकती है।
(ख) आपके विरुद्ध अभियोग याचिका दायर की जा सकती है।

3. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों **11(1)** का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 45 दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

(प्रेम प्रकाश)
क्षेत्रीय खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर

प्रतिलिपि- सूचनार्थ।

1. खान नियंत्रक (मध्य), भारतीय खान ब्यूरो, इंदिरा भवन, सिविल लाईन, नागपुर 440001 –
Email-com.cz@ibm.gov.in
2. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, छत्तीसगढ़।

क्षेत्रीय खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर